<u>न्यायालय: – सदस्य, प्रथम अति०मो० दु०दा०अधि०बालाघाट</u> श्रृंखाला न्यायालय बैहर

(पीठासीन अधिकारी— वाचस्पति मिश्र)

मोटर दुर्घटना दावा क्र.—22/2017 संस्थित दिनांक —29.06.2016 फाईलिंग नंबर—24/2017 सी.एन.नंबर—एम.पी. 5005—0000—64—2017

श्रीमती सुद्धनबाई विधवा स्व. झाडूलाल सूर्यवंशी उम्र 40 वर्ष निवासी—वार्ड नंबर 10 ब्राम्हणटोला कुकर्रा तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>आवेदिका</u>।

-// <u>विरुद्ध</u> //-

- 1— रहीम बेग पिता अकबर बेग उम्र 58 वर्ष जाति मुसलमान निवासी—वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) (वाहन चालक)
- 2— मेसर्स सतपुड़ा डीलर्स :— प्रो0 प्रकाशचंद जैन पिता श्री फूलचंद जैन जाति जैन निवासी— 38, वल्लभ नगर रायपुर (छ.ग.) (वाहन स्वामी)
- 3— शाखा प्रबंधक, दि—न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय रायपुर मण्डल कार्यालय क्रमांक — 01 प्रथम तल मदीना बिल्डिंग कचहरी चौक रायपुर तहसील व

मोटर दुर्घटना दावा क्र.—24 / 2017 संस्थित दिनांक —15.06.2016 फाईलिंग नंबर—26 / 2017 सी.एन.नंबर—एम.पी. 5005—0000—68—2017

- 1— श्रीमती बजराहीनबाई यादव पति स्व. झाडूलाल उम्र 45 वर्ष
- 2— राजकुमार यादव पिता स्व. झाडूलाल उम्र 27 वर्ष
- 3— राजूलाल यादव पिता स्व. श्री झांडूलाल उम्र 25 वर्ष तीनों जाति गोंड निवासी—ग्राम गढ़ी थाना गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट — — — — — <u>आवेदकगण।</u>

-// <u>विरूद</u> //-

- 1— रहीम बेग पिता अकबर बेग उम्र 58 वर्ष जाति मुसलमान निवासी—वार्ड नंबर 3 गङ्ढा मोहल्ला तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) (वाहन चालक)
- 2— मेसर्स सतपुड़ा डीलर्स :— प्रो0 प्रकाशचंद जैन पिता श्री फूलचंद जैन जाति जैन निवासी— 38, वल्लभ नगर रायपुर (छ.ग.) (वाहन स्वामी)
- 3— शाखा प्रबंधक, दि—न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय रायपुर मण्डल कार्यालय कमांक — 01 प्रथम तल मदीना बिल्डिंग कचहरी चौक रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) (बीमा कंपनी)— — अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री नंदिकशोर पंचेश्वर अधिवक्ता (MACC NO. 24/17) आवेदिका द्वारा श्री जे.एल. अंगारे अधिवक्ता (MACC NO. 22/17) अनावेदक कमांक 1, 2 द्वारा श्री जी.आर. यादव अधिवक्ता। अनावेदक कमांक 3 द्वारा श्री सिराज कुरैशी अधिवक्ता।

— / अ वा र्ड / / — (आज दिनांक 20 जून 2018 को पारित)

- 1. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण कमांक 22/2017 एवं 24/2017 एक ही दुर्घटना से संबंधित होने के कारण दोनों दावों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 2. आवेदकगण ने यह मोटर दुर्घटना दावा दिनांक 19.05.2016 को दिन के करीब 10:30 बजे ग्राम पीपरटोला, बैहर—बालाघाट लोकमार्ग पर वाहन कमांक C.G. 04 ZC 8094 द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से मृतक झाडूलाल की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

- 3. दोनों दावों के आवेदन पत्र का सिक्षिप्त सार यह है कि मृतक झाडूलाल 45 वर्षीय होकर कार्यालय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी में जमादार के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक 19.05.2016 को दिन के करीब 10:30 बजे विभागीय कार्य से अपनी मोटरसायकल क्रमांक MP 50 MF 6703 से अपने साईड से जा रहा था तभी ट्रक क्रमांक क्रमांक CG 04 ZC 8094 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर पीपरटोला बैहर—बालाघाट लोकमार्ग पर उसके वाहन को टक्कर मार दिया जिससे झाडूलाल मोटरसायकल सहित नीचे गिर गया। झाडूलाल के सिर, सीन, कंधे में गंभीर चोट कारित हुई, जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान झाडूलाल की मृत्यु हो गई।
- 4. श्रीमती बजराहीनबाई एवं सुद्धनबाई मृतक झाडूलाल की पिल्नयां है तथा आवेदक कमांक 2 राजकुमार एवं कमांक 3 राजू बजराहिनबाई के पुत्र है। दुर्घटना के समय उक्त वाहन का चालक रहीम बेग अनावेदक कमांक 1 था तथा वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक कमांक 2 था एवं वाहन अनावेदक कमांक 3 दि—न्यू इंडिया इंश्युरेंस बीमा कंपनी के पास दुर्घटना के समय बीमित था जिसकी बीमा पॉलिसी नंबर 46040031150200008498 होकर बीमा वैधता अविध दिनांक 10.11.2015 से 09.11.2016 तक थी। मृतक कार्यालय पशु चिकित्सा सहायक पशु प्रजनन में जमादार के पद पर पदस्थ होकर 30,000/—रूपए प्रतिमाह आय अर्जित करता था। मृतक की मृत्यु हो जाने से मोटर दावा कमांक 24/2017 के आवेदकगण ने भविष्य में होने वाली आय की क्षति 33,36,000/—, पितृ सुख से वंचित होने से आवेदकगण को हुई क्षति 1,00,000/—, शारीरिक व मानसिक क्षति के पेटे 1,00,000/—, दांपत्य सुख से वंचित होने के मद में 1,00,000/—, अंतिम संस्कार व तेरहवीं के मद में 25,000/— इस प्रकार कुल 36,61,000/—रू. एवं मोटर दुर्घटना दावा कमांक

22/2017 की आवेदिका सुद्धनबाई ने मृतक की असामायिक मृत्यु होने के मद में 35,0000/—रूपए, शारीरिक मानसिक क्लेश हेतु 2,00,000/—रूपए, अंतिम संस्कार के मद में 50,000/—रूपए, दांपत्य सुख से वंचित होने के मद में 1,00,000/—रूपए इस प्रकार कुल 40,00,000/—रू. राशि पाने के लिये दावा पेश किया है। साथ ही 12 प्रतिशत ब्याज दिलाए जाने और अन्य अनुतोष की याचना की है।

- 5. दोनों मोटर दुर्घटना दावों में अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने पृथक्—पृथक् उत्तर पेश कर आवेदन के संपूर्ण अभिकथनों को इंकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए घटना दिनांक 19.05.2016 को अना.क. 1 द्वारा सामान्य गति से वाहन चला रहा था। झाडूलाल अपनी पित्न सुद्धनबाई को पीछे बैटाकर तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर ट्रक से टकरा गया जिससे झाडूलाल की मृत्यु हो गई। मृतक झाडूलाल की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई है। उक्त घटना के लिये अनावेदक क्रमांक 1 व 2 दायित्वाधीन नहीं है। अनावेदक क्रमांक 1 वैध वाहन चालक है। उक्त वाहन दिनांक 10.11.2015 से 09.11.2016 तक बीमित था। वाहन का परिमट वैध है, वाहन की पाल्यूशन रिपोर्ट दिनांक 20.11.2015 से 20.05.2016 तक वैध है। मृतक की पित्न सुद्धनबाई एवं श्रीमती बजराहिनबाई है, के संबंध में विवाद है। उक्त दावे से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को मुक्त किए जाने की याचना की है।
- 6. दोनों मोटर दुर्घटना दावों में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने पृथक्—पृथक् उत्तर पेश कर आवेदन के संपूर्ण अभिकथनों को इंकार किया है, मृतक की मासिक आय 30,000 / —रूपए होने से इंकार किया है। दुर्घटना दिनांक 19.05.2016 को पुलिस थाना भरवेली के अंतर्गत होना इंकार किया है। उक्त दुर्घटना से मृतक झाडूलाल की मृत्यु होने से इंकार किया है।

7. विशिष्ट कथन करते हुए अनावेदक क्रमांक 1 के पास विधिवत वाहन चालन अनुज्ञप्ति होने से इंकार किया है। यह भी आधार लिया गया है कि उक्त वाहन का परिमट म.प्र. राज्य की सीमा के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। आवेदकगण और वाहन स्वामी के बीच दुरिम संधि होना व्यक्त किया है। वाहन स्वामी द्वारा धारा 147, 149 मोटरयान अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन होना लेख किया है। धारा 170 मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधान के अधीन प्रतिरक्षा की अनुमित दिया जाना लेख किया है, दावा बढ़ा—चढ़ाकर पेश किया गया है। दुर्घटना से हुई क्षिति के लिए अनावेदक क्मांक 3 उत्तरदायी नहीं है। आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

दावे के निराकरण के लिए निम्नानुसार वाद प्रश्न निर्मित किए गए है :-

MACC No. 24/2017

▼.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
_	क्या दिनांक 19.05.2016 को दिन के 10:30 बजे बालाघाट—बैहर लोकमार्ग पर ट्रक क्रमांक C.G.04 Z.D8094 को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर झाडूलाल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की ? क्या उक्त दिनांक को दुर्घटना में अंतरवलित वाहन क्रमांक C.G.04 Z.D8094 का पंजीकृत स्वामी	eĭ ala
	अनावेदक क्रमांक 2 होकर अनावेदक क्रमांक 3 के पास घटना दिनांक को बीमित था ?	GI
3.	क्या उक्त दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक C.G.04 Z.D8094 को बीमा शर्तो का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था ?	हॉ

4.	क्या आवेदकगण झाडूलाल की मृत्यु के कारण पृथक—पृथक अथवा संयुक्ततः अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 36,61,000/—रू. तथा आवेदन दिनांक से भुगतान दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी है?	कंडिका 21 (३४) (त्र) (स्र)
5.	सहायता एवं व्यय ?	द्या दावा आंशिक रूप से स्वीकृत।

MACC No. 22/2017

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 19.05.2016 को दिन के 10:30 बजे बालाघाट—बैहर लोकमार्ग पर ट्रक क्रमांक C.G.04 Z.D8094 को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर झाडूलाल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की ?	हॉ
2.	क्या उक्त दिनांक को दुर्घटना में अंतरवलित वाहन कमांक C.G.04 Z.D8094 का पंजीकृत स्वामी अनावेदक कमांक 2 होकर अनावेदक कमांक 3 के पास घटना दिनांक को बीमित था ?	AN SHAME FOR
3.	क्या उक्त दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक C.G.04 Z.D8094 को बीमा शर्तो का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था ?	हॉ
4.	क्या आवेदिका सुद्धनबाई झाडूलाल की मृत्यु के कारण पृथक पृथक अथवा संयुक्ततः अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 40,00,000 / —	नहीं ।

	रूपए तथा आवेदन दिनांक से भुगतान दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी है?	
5.	सहायता एवं व्यय ?	दावा निरस्त।

वादप्रश्न क्मांके 1 व 2 का निष्कर्ष :-

- 8. आवेदिकागण बजराहीनबाई एवं सुद्धनबाई ने अपने बयान में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 19.05.2017 को दिन के करीब 10:30 बजे उनके पित मोटरसायकल कमांक M.P. 50 M.F.-6703 से विभागीय कार्य से जा रहे थे तभी बैहर-बालाघाट मेन रोड पर सामने से आ रहे ट्रक कमांक C.G. 04 Z.C.-8094 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक ढंग से वाहन चलाकर लाया और उनके पित की मोटरसायकल में टक्कर मार दिया जिससे मृतक झाडूलाल चोटिल हो गये तथा सुद्धनबाई को भी उक्त दुर्घटना में चोट आयी थी। झाडूलाल को जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती कराया गया जहाँ ईलाज के दौरान दिनांक 19.05. 2016 को मृत्यु हो गई। दुर्घटना के संबंध में थाना भरवेली में अपराध कमांक 88/2016 अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए मा.द.वि. दर्ज कराया जाना व्यक्त किया है तथा मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाकर पश्चात् शव सुपुर्दगी में प्राप्त किया जाना व्यक्त किया है। उक्त दुर्घटना में झाडूलाल की मृत्यु होने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श ए- 5 से होती है।
- 9. साक्षी बजराहिनबाई ने जिरह में स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के समय दुर्घटनास्थल पर नहीं थी। उक्त दुर्घटना में मृतक झाडूलाल की मृत्यु होने के संबंध में साक्षीगण के बयान जिरह में स्थिर है। साक्षी सुद्धनबाई ने व्यक्त किया है कि दुर्घटना के समय मृतक झाडूलाल के साथ मोटरसायकल

पर सवार थी तथा साक्षी ने दुर्घटना देखने तथा उसे भी चोट आना बताया है। यह साक्षी भी जिरह में स्थिर है।

- 10. इसके विपरीत दुर्घटना कारित करने वाले यान ट्रक क्रमांक C.G. 04 Z.C.-8094 के चालक ने अपना परीक्षण नहीं कराया है। अतः खंडन साक्ष्य के अभाव में आवेदिका सुद्धनबाई एवं बजराहिनबाई के बयान अभिलेख पर यथावत है। उक्त साक्षीगण बजराहिनबाई एवं सुद्धनबाई के बयान की पुष्टि अपराध क्रमांक 88/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए-1, मुलाहिजा फार्म प्रदर्श ए-2, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श ए-4, शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श ए-5 से होती है।
- 11. जहाँ तक मृतक मोटरसायकल चालक की योगदायी उपेक्षा का प्रश्न है। तत्संबंध में अनावेदक पक्ष ने कोई पॉजीटिव साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाई गई है। अतः निष्कर्ष यह है कि घटना दिनांक 19.05.2016 को वाहन ट्रक कमांक C.G. 04 Z.C.-8094 के चालक अनावेदक कमांक 1 द्वारा लापरवाहीपर्वूक ढंग से चालन करने के फलस्वरूप उक्त दुर्घटना घटित होने से झाडूलाल की मृत्यु दुर्घटना में फेटिल इंजूरी से होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। उक्तानुसार वादप्रश्न कमांक 1 व 2 निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्मांक 3 का निष्कर्ष :-

12. वादप्रश्न कमांक 3 को प्रमाणित करने का भार बीमा कंपनी पर है। अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क किया है कि दुर्घटना दिनांक को ट्रक कमांक C.G. 04 Z.C.-8094 बीमा शर्तों के उल्लंघन के संचालित किया गया है। यह भी आधार लिया गया है कि उक्त वाहन का मध्यप्रदेश राज्य के लिये चालन हेतु परिमेट दस्तावेज मौजूद नहीं है। तर्क की संपुष्टि में न्यायदृष्टांत:— नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चल्ला भरथम्मा एवं अन्य 2004 (।।।) दु०मु०प्र0

450 (सु.को.) एवं युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुजाता अरोरा एवं अन्य 2013 (।।।) दु0मु0प्र0 289 (एस.सी.) प्रस्तुत किया है।

- 13. तत्संबंध में अनावेदक साक्षी मनोज नाग वरिष्ठ सहायक अधिकारी ने व्यक्त किया है कि उक्त वाहन ट्रक क्रमांक C.G. 04 Z.C.-8094 उनकी कंपनी के कार्यालय में दिनांक 10.11.2015 से 09.11.2016 के लिये बीमित किया गया था। आगे व्यक्त किया है कि उक्त वाहन मात्र रायपुर छत्तीसगढ़ परिवहन के लिये परिमट जारी किया गया था। दुर्घटना पीपरटोला तहसील जिला बालाघाट म.प्र. की है, उक्त क्षेत्र के लिये जारी नहीं किया गया था। साक्षी ने आक्षेपित बीमा पॉलिसी को प्रदर्श एन.ए. 4 से प्रदर्श अंकित कराकर उसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।
- 14. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के क्लर्क राजेश कुमार ने व्यक्त किया है कि आक्षेपित वाहन टैम्परेरी अनुज्ञा पत्र क्रमांक 1583/16/7P/RPR जारी दिनांक 01.05.2016 से 30.05.2016 उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। यह स्पष्ट किया है कि उक्त वाहन का कोई प्रमिट मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्र के लिये जारी नहीं किया गया है।
- 15. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित वाहन C.G. 04 Z.C.-8094 के चालक को मध्यप्रदेश राज्य में वाहन परिवहन हेतु परिमट जारी किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। उक्त दशा में दुर्घटना दिनांक को ट्रक क्रमांक C.G. 04 Z.C.-8094 का चालन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में संचालित किये जाने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।
- 16. अतः निष्कर्ष यह है कि अनावेदक कंपनी बीमा कंपनी निहित प्रमाणभार डिस्चार्ज करने में सफल रहती है।

- आवेदिका साक्षीगण् ने व्यक्त किया है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक झाडूलाल कार्यालय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी में जमादार के पद में पदस्थ होकर निलंबित कर्मचारी था जो कि निलंबन अवधि में करीब 10,000 / – रूपए मासिक जीवन—निर्वाह भत्ता उक्त अवधि में प्राप्त कर रहा था। तत्संबंध में उक्त विभाग के साक्षी डॉ. एम.एम. खान ने व्यक्त किया है कि मृतक झाडूलाल उनके विभाग में जमादार के पद पर पदस्थ था जो 9374 / रूपए जीवन–निर्वाह भत्ता निलंबित कर्मचारी के रूप में मासिक प्राप्त कर रहा था।
- अतः दुर्घटना दिनांक 19.05.2016 को मृतक मृत्यु पूर्व करीब 18. 10,000 / – रूपए मासिक आय अर्जन करता था। उक्त आधार पर गणना करने पर वार्षिक आय की क्षति 1,20,000 / —रूपए निर्धारित की जाती है। न्यायदृष्टांत :- '' सरला वर्मा बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम.पी.एच.टी. 99'' (सु.को.) के अनुसार एक-तिहाई राशि स्वयं पर व्यय करता होगा। इस प्रकार उक्त राशि कम करने पर वार्षिक क्षति 80,000 / — निकलती है। मृतक झाडूलाल की जन्मतिथी 22.07.1963 अभिलेख से दर्शित होती है जिसके आधार पर उसकी आयु 53 वर्ष होती है। "सरला वमि बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम.पी.एच.टी. 99'' (सु.को.) के अनुसार 11 का गुणांक अपनीया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार गणना करने पर 80000 X 11 =8,80,000/- क्षति निर्धारित की जाती है तथा अंतिम संस्कार के मद में 15,000/-, संपदा की हानि के मद में 15,000/-, साहचर्य की हानि के मद में 40,000/- इस प्रकार कुल क्षति (880000+15000+15000+40000)=9,50,000/-

हजार) रूपए निकलती है जो कि Just Compensation की श्रेणी में आती है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 04 निराकृत किया जाता है।

- 19. अभिलेख पर यह आया है कि आवेदिका बजराहिनबाई मृतक झाडूलाल की प्रथम विवाहिता पित्न है तथा उसके पुत्र राजकुमार उम्र 27 वर्ष एवं राजूलाल उम्र 25 वर्ष झाडूलाल की संतान है। जहाँ तक सुद्धनबाई का प्रश्न है वह मृतक की द्वितीय पित्न की श्रेणी में आती है। अतः विधि के अंतर्गत आवेदिका सुद्धनबाई वैधानिक वारिस की श्रेणी में नहीं आती है। चूंकि झाडूलाल के पुत्र राजकुमार उम्र 27 वर्ष एवं राजूलाल उम्र 25 वर्ष वयस्क है। अतः मात्र बजराहिनबाई मृतक झाडूलाल पर दुर्घटना के पूर्व आश्रित होना पाई जाती है।
- 20. अतः अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवार्ड राशि 9,50,000 /— (नौ लाख पचास हजार) रूपए प्राथमिकता के आधार पर आवेदिका याचिकाकर्ता बजराहिनबाई के पक्ष में अदा करेगें।
- 21. चूंकि मृतक के ऊपर विधि के अंतर्गत पत्नि बजराहिनबाई आश्रित होना पाई गई है। अतः आवेदिका बजराहिनबाई को अवार्ड राशि 1,50,000/— रूपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी होगी तथा शेष राशि 8,00,000/—रूपए 05 वर्ष की अविध तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जावेगी, जिस पर वह श्रेमासिक ब्याज आवश्यक खर्च हेतु प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। आवेदक कमांक 1 राजकुमार एवं आवेदक कमांक 2 राजू वयस्क होने के कारण मृतक के ऊपर आश्रित होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः उक्त अवार्ड राशि से आवेदक कमांक 1 एवं 2 कोई प्रतिकर पृथक् से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मोट्स दुर्घटना दावा कमांक 24/2017 आंशिक रूप से उक्तानुसार स्वीकार की जाती है:—

सहायता एवं व्यय:-

- [अ] <u>मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 24 / 2017</u> की आवेदिका श्रीमती बजराहिनबाई यादव विधवा झाडूलाल यादव को प्राप्त होने वाली राशि 9,50,000 / में से 1,50,000 / रूपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी है तथा शेष राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जावे जिस पर वह त्रै—मासिक ब्याज अपने जीवन निर्वाह हेतु प्राप्त करेगी।
- [ब] उक्त अवार्ड राशि प्राथमिकता के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 संयुक्ततः या पृथकतः आवेदिका/याचिकाकर्ता बजराहिनबाई को अदा करेगें।
- {स} आवेदिका श्रीमती बजराहिनबाई उक्त प्रतिकर राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 7 प्रतिशत ब्याज सहित अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से पाने के अधिकारिणी है।
- [द] <u>मोटर दुर्घटना दावा कमांक 22/2017</u> की आवेदिका श्रीमती सुद्धनबाई मृतक झाडूलाल की द्वितीय पत्नि होने के कारण विधि के अंतर्गत अनावेदक कमांक 1 व 2 से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी होना नहीं पाई जाती है। अतः मोटर दुर्घटना दावा कमांक 22/2017 निरस्त किया जाता है।
 - (इ) तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।
 - (फ) अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया। मेरे बोलने पर मुद्रित

सही / –

दिनांक :- 20 जून 2018

(वाचस्पति मिश्र)

सदस्य

प्र0अति0मो0दु0दा0अधि0 बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

—:: व्यय तालिका ::—

MACC No. 22/2017

क	विवरण ूर्	आवेदकगण	अना.क.1, 2	अना.क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20-00	-)	38
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	20-00	- A "	10-00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10-00	TUDI	10-00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	G(0)	-
5.6	अधिवक्ता फीस	-	Eggs.	-
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	- 20/2	<u>_</u>	-
	योग —	50.00	-	20.00

MACC No. 24/2017

क	विवरण	आवेदकगण	अना.क.1, 2	अना.क्रु3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	15-00	-	X 30
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	7	10-00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10-00	10-00	10-00
4.4	दस्तावेज पर शुल्क	-	18 Bloggi	-
5.	अधिवक्ता फीस प्रमाण पत्र पेश, स्वीकृत।	500-00	Helphil.	-
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	- All	_	
	योग –	52 5. 00	10.00	20.00

सही /—
(वाचस्पति मिश्र)
सदस्य
प्र0अति0मो0दु0दा0अधि0 बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर